BULANDSHAHR POLICE

दिनांक- 07 मार्च, 2025 **थाना चोला**

05 शातिर अभियुक्त, डैकेती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार, कब्जे से पिकआप एक गाडी व अवैध असलहा कारतूस आदि बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 06/07-03-2025 की रात्रि मे थाना चोला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान ग्राम फतेहपुर जादौन के बाहर आम के बाग के पास से 05 शातिर अभियुक्त को डैकैती की योजना बनाते हुए एक पिकअप गाडी, अवैध असलहा कारतूस आदि सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चोला पर मुअसं 47/25 धारा 310(5) बीएनएस व 3/4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता-

1. सुशील कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम बहादूरपुर बडे हसनपुर के पास थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
2. देवव्रत पुत्र महेश निवासी ग्राम बहादूरपुर बडे हसनपुर के पास थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
3. अंकुर पुत्र महेश निवासी ग्राम बहादूरपुर बडे हसनपुर के पास थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
4. अनुज पुत्र रतनलाल निवासी ग्राम अराव थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
5. देवेन्द्र पुत्र गजेन्द्र निवासी ग्राम भीमासुल्तान थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस
2. 03 अवैध चाकू
3. 01 कटर नीले रंग का
4. 01 सरिया
5. 01 बोलोरो पिकअप गाडी नं0 -DL-1LAJ-2045 (207 MV ACT मे सीज)

गिरफ्तार अभियुक्त देवेन्द्र का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 202/23 धारा 120-B,323,420,504,506 भादवि थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।
2. मुअसं- 47/25 धारा 310(5) बीएनएस व 3/4/25 शस्त्र अधि0 थाना चोला जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त अंकुर का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 130/24 धारा 379/411 भादवि थाना वेव सिटी, ग्रामीण कमिश्रेरेट गाजियाबाद।
2. मुअसं- 47/25 धारा 310(5) बीएनएस व 3/4/25 शस्त्र अधि0 थाना चोला जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त सुशील, देवव्रत व अनुज का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 47/25 धारा 310(5) बीएनएस व 3/4/25 शस्त्र अधि0 थाना चोला जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री विजय कुमार थाना प्रभारी चोला
2. उ0नि0 प्रशांत कुमार, उ0नि0 यू0टी हरेन्द परमार
3. है0का0 जहूर अली, है0का0 चन्द्रवीर, है0का0 जितेन्द्र कुमार, का0 आकाश कुमार, का0 विष्णु शर्मा, का0 अरविंद कुमार, का0 सचिन कुमार, का0 यामीन खान

मीडिया सेल, बुलंदशहर